न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 56/2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
शम्भूसिंह पुत्र विरधसिंह जाति राजपूत निवासी सिमालिया उप तहसील जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		नायब तहसीलदार जसोल

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.12.2018 जो प्रकरण सं. 202/2018 मे उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 03/07/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 202/2018 सरकार बनाम शम्भूसिंह व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का कालुड़ी द्वारा उप तहसीलदार जसोल के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिमालिया के खसरा नम्बर 274/38 रकबा 01–11 बीघा किस्म गैर मुमकीन रड़ी सरकारी भूमि मे से 00–02 बीघा पर गैर सायल शम्भुसिंह व अन्य द्वारा बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल ने दौरान सुनवाई उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 13.12.2018 के द्वारा 1/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 24.12.2018 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मात्र 7 दिन मे प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल मुद्रित प्रफोर्मा के आधार पर आदेशिका की सील लगाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अपीलांट को न तो न्यायिक तरीके से समुचित सुनवाई का अवसर दिया है और न ही अपीलकर्ता को जवाब देने का अवसर प्रदान किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन मे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तत्काल ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं खारिज योग्य है।

6. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मौजा सिमालिया के खसरा नम्बर 274/38 गैर मुमकीन रड़ी की भूमि पर अपीलांट के अलावा दीपसिंह, पूंजराजसिंह, रतनसिंह व अन्य कई ग्रामीण वर्षों से अपने रहवासीय पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है और उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा गांव मे आबादी विस्तार हो जाने के कारण गैर मुमकीन आबादी मे संपरिवर्तन किये जाने के लिये सरकारी स्तर पर प्रस्तावित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचान के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

7. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सिमालिया के खसरा नम्बर 274/38 रकबा 01–11 बीधा किस्म गैर मुमकीन रड़ी भूमि मे से 00–02 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना

जिला कलक्टर
बाडमेर

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया तथा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर स्वंय कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

8. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम पंचायत कालुड़ी के द्वारा गांव सिमालिया की आबादी विस्तार होने से गैर मुमकीन भूमि को गैर मुमकीन आबादी मे संपरिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित होना प्रकट किया है, किन्तु इसके समर्थन कोई दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 13.12.2018 को वह स्वंय उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सरकारी भूमि पर अतिक्रण किया जाना स्वीकार किया है तो फिर अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता ही प्रतीत नही होती है, क्योंकि विधि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि स्वीकारोक्ति स्वंय सर्वोत्तम साक्ष्य है। अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर उप तहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

10. आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner